कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

18 MAR 2013
2/1813

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14334/1022 दिनांकः– 12.03.13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत बैरगनियाँ के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 361/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय, जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
12/03/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

नगर पंचायत बैरगनियाँ(सीतामढी)
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–361/12–13
(अवधि– 2010–11 से 2011–12 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत बैरगनियाँ(सीतामढी) के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 29.08.12 से 6.09.12 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	नाम	कार्यावधि
	अध्यक्ष	
1	श्रीमती लक्ष्मी देवी	01.04.10 से 15.02.12
2	श्रीमती सुशीला देवी	15.02.12 से 31.03.12
	उपाध्यक्ष	
1	श्रीमती कैलाश देवी	01.04.10 से 31.03.12
	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i)	श्री पंकज कुमार गुप्ता	1.04.10 से 5.05.10
(ii)	श्री अविनाश कुमार सिंह	5.05.10 से 7.06.11
(iii)	श्री निरोज कुमार भगत	7.06.11 से 26.03.12
(iv)	श्री हेमंत कुमार	26.03.12 से 31.03.12

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना जाँच की गई अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में तथा अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दिया गया है।

4. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई टिप्पणियों एवं अनुरोध के बावजूद पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अनुपालन के अभाव में पूर्ववर्ती

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की बकाया कंडिकाओं के निस्तारण की स्थिति में सुधार नहीं हो सका। अनुपालन नहीं किये जाने पर लेखा परीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। अतः प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाये।

5. बजट प्राक्कलन

नगर पंचायत द्वारा, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 84 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए मदवार अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करते हुए बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 75 के अनुसार नगरपालिका निधि से किसी राशि का भुगतान अथवा व्यय मूलक संविदा तब तक नहीं की जा सकती जब तक की ऐसा व्यय वर्तमान बजट से आच्छादित न हो तथा इसके लिए आय–व्ययक में निधि उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रावधानों के विपरीत, अंकेक्षण अवधि का संपूर्ण व्यय बजट प्राक्कलन के बिना किया जाना अप्राधिकृत था।

6. वित्तीय परिदृश्य

नगर पंचायत बैरगनियाँ द्वारा प्रस्तुत सामान्य रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के आय–व्यय की स्थिति निम्नलिखित है:–

क्रम	विवरण	वित्तीय वर्ष	
		2010–11	**2011–12**
1	प्रारम्भिक शेष	1,26,09,059.31	1,49,94,264.31
2	प्राप्ति		
(i)	बी0 आर0 जी0 एफ0	16,27,738.00	12,25,458.00
(ii)	तेरहवीं वित्त	13,00,000.00	29,51,000.00
(iii)	कबीर अंत्येष्टि	1,08,000.00	2,04,500.00
(iv)	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	–	85,42,930.00
(v)	स्वयं के स्रातों से	3,57,247.00	14,97,069.38
(vi)	अन्य	5,17,113.00	13,36,705.99
3	वर्ष की प्राप्ति(i to vi)	39,10,098.00	1,57,57,663.37
4	कुल प्राप्ति(1+3)	1,65,19,157.31	3,07,51,927.68

5	व्यय		
(i)	वेतन	9,49,472.00	6,06,034.00
(ii)	अन्य	5,75,421.00	8,39,919.00
6	कुल व्यय(i+ii)	15,24,893.00	14,45,953.00
7	अन्तशेष(4–6)	1,49,94,264.31	2,93,05,974.68

बैंक शेष

क्र0 सं0	बैंक का नाम एवं पता	खाता सं0	राशि(₹)31.03.12 को
1	इलाहाबाद बैंक, बैरगनिया	21922484986	47,39,253.00
2	भारतीय स्टेट बैंक, बैरगनिया	11803893079.00	4,36,974.02
3	बैंक ऑफ बड़ौदा, बैरगनिया	20010100002113	47,34,831.14
4	बैंक ऑफ बड़ौदा, बैरगनिया	2010100004178	63,44,807.00
			1,62,55,865.16

रोकड़ बही में बैंक पासबुक/कोषागार पासबुक के अनुसार उपलब्ध राशि दर्ज नहीं किया गया था। ट्रेजरी पासबुक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे रोकड़ बही के अंतशेष एवं बैंक शेष(ट्रेजरी पासबुक सहित) का अंतर ज्ञात नहीं किया जा सका। अगले अंकेक्षण में ट्रेजरी पासबुक प्रस्तुत किया जाय।

7. सरकारी अनुदान की स्थिति

नगर पंचायत द्वारा सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था फलस्वरूप वर्ष के प्रारंभ में अप्रयुक्त अनुदान, वर्षवार प्राप्त अनुदान एवं वर्ष के अंत में अवशेष अनुदान की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों के अनुसार वर्ष 2010–11 से 2011–12 की अवधि में प्राप्त अनुदान की स्थिति निम्नलिखित थी:–

72)

(i) कबीर अंत्येष्टि

क्र0 सं0	तिथि	राशि(₹)	विवरण
(क)	4.05.2010	1,08,000.00	चेक सं0 227949 दिनांक 9.04.2010 द्वारा प्राप्त
(ख)	23.03.2012	31,500.00	जिला पदाधिकारी के पत्रांक 40 दिनांक 29.11.11, विशेष घटक योजना, P.L A/c में, राज्यादेश सं0 1729/25.08.11
(ग)	23.03.2012	2,00,000.00	जिला पदाधिकारी के पत्रांक 144 दिनांक 5.03.12, राज्यादेश सं0 460/22.02.12
(घ)	29.03.2012	63,000.00	जिला पदाधिकारी के पत्रांक 196/28.03.12
		4,02,500.00	

(ii) 13 वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान

क्र0 सं0	तिथि	राशि(₹)	विवरण
(क)	27.03.12	26,03,633.00	विविध रोकड़ बही 28.03.11, 4.08.11 के अनुसार
(ख)	27.03.12	16,51,000.00	संयुक्त सचिव सह निदेशक UD & HD के पत्रांक 58 दिनांक 13.03.12
		42,54,633.00	

(iii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त

क्र0 सं0	तिथि	राशि(₹)	विवरण
(क)	29.03.12	20,00,000.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0, बिहार, पटना के पत्रांक 61 दि0 19.03.12 द्वारा प्राप्त असंबद्ध अनुदान
(ख)	27.03.12	65,42,930.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0, बिहार, पटना के पत्रांक 60 दिनांक 19.03.12 द्वारा शुद्ध करों के संग्रहण की अंतरित राशि
		85,42,930.00	

(iv) जनगणना हेतु प्राप्त राशि

क्र0 सं0	तिथि	राशि(₹)	विवरण
(क)	18.01.2011	2,25,100.00	जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी से प्राप्त चेक सं0 281441/15.01.11
(ख)	9.06.2011	1,44,100.00	चेक सं0 539427 दि0 28.03.11
		3,69,200.00	

(v) बी0 आर0 जी0 एफ0

क्र0 सं0	तिथि	राशि(₹)	विवरण
(क)	27.03.12	16,27,738.00	(10–11 में प्राप्त), विवरण दर्ज नहीं
	–	12,25,458.00	(11–12 में प्राप्त) चेक सं0 008429 दिनांक 17.06.11
		28,53,196.00	

(vi) निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता

क्र0 सं0	तिथि	राशि(₹)	विवरण
(क)	27.03.12	79800.00	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 44 दिनांक 25.01.12 द्वारा प्राप्त।

उपर्युक्त अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र, समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गई।

8. अनुपयोगित अनुदान–₹257.04 लाख

विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों के अनुसार दिनांक 31.03.12 को मदवार अव्यवहृत अनुदान की स्थिति निम्नलिखित थी:–

क्र0 सं0	अनुदान शीर्ष का नाम	अवशेष राशि(₹)	अभियुक्ति
1	कबीर अंत्येष्टि	3,08,000.00	
2	तेरहवीं वित्त	42,54,633.00	अद्यतन व्यय शून्य
3	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	85,42,930.00	अद्यतन व्यय शून्य
4	बी0 आर0 जी0 एफ0	62,53,686.00	अद्यतन व्यय शून्य
5	मुख्यमंत्री नगर विकास	63,44,807.00	चेक सं0 467506 दि0 28.05.09 द्वारा प्राप्त
	कुल	25704056.00	

इस प्रकार नगर पंचायत को प्राप्त विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुदान मद की राशि का व्यय अद्यतन नहीं किया गया। अनुदान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि अनुपयोगित अनुदान को यथाशीघ्र उपयोग कर, उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाये, अथवा उपरोक्त अनुदान राशि का उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में अनुदान स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी को अनुदान वापस किया जाये।

9. आपत्तिजनक एवं खतरनाक व्यवसाय शुल्क की वसूली नहीं

आपत्तिजनक एवं खतरनाक व्यवसाय शुल्क की पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान उक्त शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी। विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम	विवरण	वित्तीय वर्ष	
		2010–11	**2011–12**
1	प्रारम्भिक शेष	74,150.00	77,250.00
2	चालू माँग	3,100.00	3,100.00
3	कुल माँग	77,250.00	80,350.00
4	वसूली	Nil	Nil
5	अंतशेष	77,250.00	80,350.00

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में न तो माँग में वृद्धि की गई थी और न ही कोई वसूली की गई थी। वसूली नहीं किये जाने के कारणों को लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि खतरनाक एवं आपत्तिजनक व्यापार शुल्क की राशि की वसूली नहीं किये जाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये तथा बकाया राशि की वसूली हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाये।

10. सैरातों की बंदोबस्ती में अनियमिततायें–₹2.93 लाख

(i) सैरात पंजी के अनुसार वर्षवार सैरातों के बंदोबस्ती की स्थिति निम्नलिखित थी:–

क्र0सं0	सैरात का नाम	2009–10				2010–11				2011–12		
		सु0 जमा	डाक की राशि	वसूली	कम जमा	सु0 जमा	डाक की राशि	वसूली	कम जमा	सु0 जमा	डाक की राशि	वसूली
1	नगर पंचायत बैरगनियाँ के निजी जमीन पर चलंत दुकान	5,500.00	6,500.00	6,500.00	–	5,500.00	7,200.00	7,200.00	–	5,500.00	8,100.00	8,100.00 +612(Regd.)
2	ट्रक ट्रैक्टर, टायर गाड़ी पर बालू गिट्टी का स्थानीय कर	71,500.00	2,53,000.00	2,14,500.00	38,500.00	71,500.00	2,53,000.00	63,250.00	1,89,750.00	71,500.00	1,51,000.00	1,51,000.00
3	रिक्शा, तांगा, टायरगाड़ी, ठेला एवं बैलगाड़ी से वसूली	11,000.00	11,500.00	4,000.00	7,500.00	11,000.00	11,850.00	11,850.00	–	11,850.00	–	–

4	सुलभ शौचालय	11,000.00	12,000.00	12,000.00	—	11,000.00	13,200.00	13,200.00	—	11,000.00	49,000.00	49,000.00 +3475(Regd.)
5	वाहनों से सवारी कर	71,500.00	1,16,000.00	1,16,000.00	—	71,500.00	1,28,000.00	1,28,000.00	—	71,500.00	1,51,000.00	1,51,000.00 +10615(Regd.)
6	साईकिल टिन–टिकट वसूली	16,500.00	17,100.00	5,000.00	12,100.00	16,500.00	—	—	—	16,500.00	—	—
				कुल कम जमा	58100.00			कुल कम जमा	1,89,750.00			

(67)

लेखा परीक्षा टिप्पणी

(i) उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के द्वारा कुल ₹2,47,850.00(58,100+1,89,750) कम जमा किया गया था। अतः उपरोक्त कम जमा की राशि को संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल किया जाये।

(ii) वर्ष 2011–12 में रिक्शा, तांगा, टायरगाड़ी से वसूली, वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में साईकिल से टीन टिकट की वसूली संबंधी सैरातों की बंदोबस्ती नहीं किए जाने के कारण अथवा विभागीय वसूली नहीं किए जाने के कारण नगर पंचायत को न्यूनतम ₹44,850.00(11,850+16,500+16,500) की हानि हुई। उक्त हानि की वसूली संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाये। विभागीय निर्देशानुसार, सुरक्षित जमा का निर्धारण प्रत्येक तीन वर्षों पर किया जाता है परन्तु उक्त निर्देश का पालन नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया।

(iii) बिहार सरकार के पत्रांक ए 1920/Re/मुख्य सचिव, दि0 14.08.2002 तथा सचिव सह आई0 जी0 निबंधन, बिहार के पत्रांक सं0 549 दि0 15.03.05 के अनुसार बंदोबस्ती की राशि के 3% मूल्य के स्टाम्प पेपर पर बंदोबस्तधारी से एकरारनामा करना है। नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010–11 में सभी सैरातों के लिए एवं वर्ष 2011–12 में एक सैरात के लिए निर्धारित स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किया गया फलस्वरूप निम्नवत् सरकारी राजस्व की क्षति हुई।

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	कुल राशि(₹)	30% की दर से स्टाम्प शुल्क(₹)
1	2010–11	4,13,250.00	12,398.00
2	2011–12	1,51,000.00	4,530.00
			16,928.00

₹16,928.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर संबंधित शीर्ष में जमा करें। अतः कुल ₹3,09,628.00(2,47,850+44,850+16,928) की वसूली संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति(यों) से की जाये तथा अगले लेखा परीक्षा मे जमा से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।

165

11. रोकड़ बही में दर्ज राशि बैंक खाते में जमा नहीं–₹2.76 लाख

नगर पंचायत बैरगनिया के लेखाओं के जाँच में पाया गया कि आंतरिक स्रोतों से प्राप्त राशि ₹2,76,032.00 सामान्य रोकड़ बही में दर्ज किया गया था, लेकिन उक्त राशि को बैंक खाते में जमा नहीं पाया गया।(परिशिष्ट–III)

क्र0 सं0	सामान्य रोकड़ बही में अंकित तिथि	राशि(₹)
1	13.04.10	11,000.00
2	5.11.10	12,586.00
3	18.01.11	7,839.00
4	28.03.11	7,200.00
5	15.04.11	33,207.00
6	15.04.11	34,000.00
7	7.05.11	18,500.00
8	9.06.11	10,127.00
9	25.06.11	49,000.00
10	13.07.11	95.00
11	29.07.11	4,959.00
12	5.08.11	20.00
13	17.08.11	60.00
14	20.08.11	10.00
15	28.08.11	14,292.00
16	2.09.11	20.00
17	20.09.11	3,036.00
18	30.01.11	40.00
19	18.11.11	80.00
20	30.11.11	5,227.00
21	13.12.11	10.00

22	16.12.11	10.00
23	10.01.12	632.00
24	14.01.12	10.00
25	18.01.12	20.00
26	25.01.12	20.00
27	27.01.12	934.00
28	31.01.12	21,225.00
29	1.02.12	10,615.00
30	3.02.12	40.00
31	23.02.12	25.00
32	3.03.12	20.00
33	19.03.12	22,790.00
34	26.03.12	8,313.00
35	30.03.12	70.00
		2,76,032.00

अतः राशि ₹2,76,032.00 को संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय को दी जाये।

12. कम जमा/नहीं जमा

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि गृहकर रसीद एवं विविध रसीद द्वारा वसूल किये गये राशि ₹67,745.77 में से ₹66,633.57 ही जमा किया गया था, जबकि ₹1,112.20 को जमा नहीं किया गया था। संबंधित विवरण निम्नलिखित है:–

क्र0 सं0	वसूली का प्रकार	रसीद सं0/दिनांक	वसूली कर्त्ता का नाम	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा/नहीं जमा
1	गृहकर	1880 से 1900/27.03.12 2001 से 2200/28.03.12	श्री जनक गिरी	63,995.77	63,383.57	612.20
2	विविध/BOQ	941/23.03.12	–	3,750.00	3,250.00	500.00
				67,745.77	66,633.57	1,112.20

कम जमा की राशि ₹1,112.20 संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

13. गृह कर माँग एवं वसूली की स्थिति

गृहकर की माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था, फलस्वरूप गृहकर की माँग एवं वसूली की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अंतिम कर निर्धारण वर्ष 1988–89 हेतु संधारित कर निर्धारण पंजी के अनुसार वार्षिक माँग ₹1,95,782.00 थी। वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान माँग एवं वसूली का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र0 सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष	
		2010–11	2011–12
1	प्रारम्भिक शेष(बकाया)	6,83,135.00	8,78,917.00
2	चालू वर्ष की माँग	1,95,782.00	1,95,782.00
3	कुल माँग	8,78,917.00	10,74,699.00
4	वसूली	शून्य	1,41,401.19
5	वर्ष के अंत में बकाया	8,78,917.00	9,33,297.81

अंतिम कर निर्धारण वर्ष 1988–89 हेतु संधारित पंजी के अनुसार कुल होल्डिंग की संख्या 4128 थी एवं वार्षिक माँग ₹1,95,782.00 था। अद्यतन होल्डिंग की संख्या में एवं कर माँग में कोई वृद्धि नहीं पायी गयी। इस प्रकार लगभग 22 वर्षों में कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया एवं होल्डिंग की संख्या, संरचना आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं पाया गया।

भवन कर की कुल बकाया राशि ₹9,33,29,7.81 की वसूली एवं पुनरीक्षण हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जाये।

14. कबीर अन्त्येष्टि योजनान्तर्गत भुगतान से संबंधित अभिश्रव अप्रस्तुत–₹1.11 लाख

कबीर अंत्येष्टि योजना के वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 से संबंधित रोकड़ बही के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि दि0 3.01.2011 को विभिन्न वार्ड आयुक्तों को कुल ₹1,15,500.00 का भुगतान कबीर अंत्येष्टि योजनान्तर्गत किया गया था।(परिशिष्ट'–IV)

क्र0 सं0	वार्ड सं0	वार्ड आयुक्त का नाम(श्री या श्रीमती)	खाता सं0	राशि(₹)
1	1	राम आशीष राम	94445	4,500.00
2	2	राजेश कुमार	99479	25,500.00
3	3	सुरेन्द्र सिंह	97446	4,500.00
4	4	दुर्गा देवी	97447	4,500.00
5	5	रीना देवी	97448	4,500.00
6	6	निशि जायसवाल	97449	4,500.00
7	7	कैलाश देवी	97450	4,500.00
8	8	सिन्धु गुप्ता	97451	4,500.00
9	9	दीप लाल बघेला	97452	4,500.00
10	10	विश्वनाथ गुप्ता	97453	4,500.00
11	11	राम पुकार देवी	97454	4,500.00
12	12	सीता राम साह	97455	4,500.00
13	13	हरिशचन्द्र महतो	97456	4,500.00
14	14	सुशीला देवी	97457	4,500.00
15	15	शोभा देवी	97458	4,500.00
16	16	मो0 रसीद	97459	4,500.00
17	17	लक्ष्मी देवी	97460	4,500.00
18	18	सुरेन्द्र पासवान	97461	4,500.00
19	19	जमीर लाल साह	97462	4,500.00
20	20	नीभा देवी	97463	4,500.00
21	21	शौषैदा खातुन	97464	4,500.00
				1,15,500.00

लेकिन उक्त भुगतान से संबंधित अभिश्रव एवं संबंधित अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अत: अगले लेखा परीक्षा में उपरोक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने तक भुगतान की गई राशि ₹1,15,500.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

15. अनियमित भुगतान–₹0.05 लाख

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 01/प्रा0 आ0–55/2005/03/आ0 प्र0 दिनांक 04.01.10 के आलोक में नगर पंचायत द्वारा विभिन्न स्थानों पर शीतलहरी से गरीबों की जीवन रक्षा हेतु अलाव की व्यवस्था की गयी थी। उक्त कार्य के लिए लकड़ी क्रय हेतु दिए गये अग्रिम की समायोजन के लिए अभिश्रवों की नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि कुछ अभिश्रवों का क्रम सं0 पूर्व में निर्गत अभिश्रवों से कम था। साथ ही अभिश्रवों पर प्रधान सचिव द्वारा निर्गत आदेश से पूर्व की तिथि में क्रय की तिथि अंकित थी, जिसका उल्लेख निम्नलिखित है:–

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0 एवं तिथि	अभिश्रव का क्रम सं0	पृष्ठ सं0	राशि(₹)	विक्रेता का नाम
1	80/4.01.10	80	4	1,500.00	रौशन फर्निचर उद्योग, बैरगनियाँ
2	92/3.01.10	92	5	1,900.00	रौशन फर्निचर उद्योग, बैरगनियाँ
3	94/2.01.10	94	6	1,550.00	रौशन फर्निचर उद्योग, बैरगनियाँ
			कुल	4,950.00	

लेखा परीक्षा अभियुक्ति

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि जलावन का क्रय प्रधान सचिव द्वारा निर्गत आदेश की तिथि, अथवा उससे पूर्व की तिथि का था, जो अनियमित था। अतः जलावन खरीद से संबंधित प्रकरण की विभागीय स्तर पर जाँच कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत करवाये जाने तक भुगतान की गई राशि ₹4,950.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

60

16. लॉगबुक अप्रस्तुत

अभिश्रवों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि डीजल क्रय हेतु निम्नलिखित तिथियों को भुगतान किया गया थाः—

क्र0 सं0	तिथि	राशि(₹)
1	5.04.10	370.00
2	30.03.10	185.00
3	25.03.10	370.00
4	13.03.10	740.00
5	20.03.10	740.00
6	25.02.10	555.00
7	25.02.10	555.00
8	20.02.10	555.00
9	16.12.09	185.00
10	18.01.10	555.00
11	23.01.10	555.00
12	30.01.10	555.00
13	5.02.10	555.00
14	10.02.10	555.00
15	2.01.10	185.00
16	4.01.10	185.00
17	6.01.10	185.00
18	8.01.10	185.00
19	10.01.10	185.00
20	12.01.10	185.00
		8140.00

डीजल क्रय से संबंधित वाहनों का लॉग बुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे डीजल क्रय पर व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अगले अंकेक्षण में लॉगबुक प्रस्तुत करें तबतक ₹8140.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

17. वर्ष 1988–89 से गृहकरों का पुनरीक्षण नहीं

नगर पंचायत द्वारा गृह करों का मूल्यांकन वर्ष 1988–89 में की गई थी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नलिखित थी:–

(i)	कुल होल्डिंग की संख्या			4128
(ii)	वार्षिक मूल्यांकन			₹16,31,517.00
(iii)	वार्षिक माँग	(i)	गृह कर @8%	₹1,30,521.00
		(ii)	शौच कर @4%	₹65,261.00

लेखा परीक्षा अभियुक्ति

(1) वर्ष 1988–89 में नगर पंचायत अंतर्गत अवस्थित होल्डिंगों की संख्या 4126 थी, एवं अद्यतन कोई बढोतरी नहीं हुई थी, जबकि नये मकानों की संख्या में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी।

(2) गृह कर रसीदों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त रसीदों से वर्ष 1988–89 में नियत दरों के अनुसार गृह कर, शौच कर एवं गृह कर का 15% शिक्षा सेस की वसूली की जा रही थी, जबकि शिक्षा सेस के समतुल्य स्वास्थ्य सेस भी वसूल किया जाना था इसके अतिरिक्त सरकारी निर्देशानुसार वर्ष 2009–10 से विलंब शुल्क, प्रतिमाह 2% की दर से वसूल किया जाना था, परन्तु विलंब शुल्क की वसूली नहीं की गई।

अतः नगर पंचायत के प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि करों के वसूली हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाये, जिससे नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके।

18. असमायोजित अग्रिम–₹5.40 लाख

दिनांक 6.05.11 से संधारित अग्रिम पंजी के अनुसार दिनांक 31.03.12 को असमायोजित अग्रिम की स्थिति निम्नलिखित थी:–

क्र0 सं0	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता का नाम(सर्वश्री)	राशि(₹)
1	जनक गिरी, कर दरोगा	5,000.00
2	चन्द्रकला श्रीवास्तव	35,000.00
3	राम बाबू ठाकुर, अनुसेवक	1,12,200.00
4	वशीर अंसारी	25,000.00
5	आर0 के0 एजेन्सी, सीतामढी	1,87,200.00
6	श्याम विनय कुमार सिंह	10,000.00
7	शंकर कुमार	10,000.00
8	मनोज कुमार	5,000.00
9	महेन्द्रराउत, सफाई कर्मी	21,000.00
10	बिजली मलिक	16,000.00
11	रामचन्द्र राउत	21,000.00
12	भिखारी राउत	21,000.00
13	हरेन्द्र राउत	5,000.00
14	हरेन्द्र राम	16,000.00
15	शिव शंकर राय	26,000.00
16	विनोद कुमार पाठक	10,000.00
17	चेतनारायण भगत	15,000.00
		5,40,400.00

उपर्युक्त अग्रिम वर्ष 2007–08 से लंबित है। अग्रिम के समायोजन हेतु यथा शीघ्र कदम उठाये। पूर्व की असमायोजित अग्रिम एवं लेखा परीक्षा अवधि में दी गयी अग्रिम के समायोजन/वसूली की स्थिति अगले लेखापरीक्षा में दिखलाया जाय।

19. लेखा परीक्षा का परिणाम

क्र0सं0		राशि(₹)
(i)	लेखा परीक्षा के दौरान वसूल की गई राशि	शून्य
(ii)	वसूली हेतु सुझायी गयी कुल राशि	586772.20
(iii)	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई कुल राशि	1,28,590.00

20. कार्यपालक से वार्त्तालाप

लेखा परीक्षा आपत्तियों पर कार्यपालक से समय–समय पर वार्त्ता की गई।

21. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत बैरगनियाँ के लेखाओं के संधारण में सुधार की आवश्यकता है। अनुदान एवं अनुदान विनियोजन पंजी, अग्रिम पंजी, सम्पत्ति पंजी, वार्षिक लेखे, बजट, प्राक्कलन, करों की माँग एवं वसूली पंजी आदि का संधारण नहीं किया जा रहा था। अभिलेखों के संधारण नहीं होने से किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

नगर पंचायत प्रशासक को सुझाव दिया जाता है कि लेखों का विहित संधारण करने के लिए उचित कदम उठाया जाये, नगरपालिका अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करारोपण किया जाय एवं गृह कर का पुनर्मूल्यांकन कर नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाया जाय।

–हस्ता0–

संजीव नयन

(स0 ले0 प0 अ0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

56)

सं० एल० ए०/एस० एस०–1/ श० स्था० नि०/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत बैरगनियॉ (सीतामढ़ी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति को समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

—— हस्ता० ——

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं० एल० ए०/एस० एस०–1/ श० स्था० नि०/14334/1022 दिनांकः– 12.02.13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव,नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना

(ii) जिलाधिकारी, सीतामढी

12/03/2013
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

नगर पंचायत बैरगनियाँ (2010-11 से 2011-12)
परिशिष्ट -1 (कंडिका 2 के सम्बन्ध में)

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच की गयी ~~कंडिकाओं~~ अभिलेखों सूचि

1. रोकड़ बही (सामान्य) एवं सहायक
2. विविध रसीद
3. एच० रसीद
4. भंडार पंजी (विविध एवं H. रसीद)
5. बैंक पासबुक
6. अग्रिम
7. खैरात से सम्बन्धित संचिका

संजीव
स०ले०प० अ०

नगर पंचायत बैरगनियाँ (2010-11 से 2011-12)

परिशिष्ट - ग

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत एवं असंधारित अभिलेखों की सूची

प्रतिवेदन की कंडिका 2 से सम्बन्धित

1. कोषागार पासबुक
2. रोकड़ पाल रोकड़ बही
3. अनुदान पंजी
4. अनुदान विनियोग पंजी
5. मुख्य करों की माँग एवं वसूली पंजी
6. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
7. दैनिक संग्रह पंजी
8. बजट
9. वार्षिक, मासिक एवं त्रैमासिक लेखे
10. योजना संचिकाएँ
11. भविष्य निधि लेखा
12. बैठक पंजी
13. सम्पत्ति पंजी
14. डिपोजिट लेजर
15. मोबाईल टावरों से सम्बन्धित संचिका
16. योजना पंजी
17. पेंशन पंजी
18. होर्डिंग से सम्बन्धित संचिकाएँ
19. उपयोगिता प्रमाण पत्र
20. आवंटन पंजी, आवंटन पत्र,
21. ऋण पंजी
22. वार्षिक कार्य योजना
23. [illegible]

संजीव

AAO

परिशिष्ट– III
(प्रतिवेदन की कंडिका 19 में संदर्भित)
लेखा परीक्षा का परिणाम

क्र0सं0	कंडिका सं0	वसूली गयी राशि(₹)	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि(₹)	आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि(₹)
1	10	—	3,09,628.00	—
2	11	—	2,76,032.00	—
3	14	—		1,15,500.00
4	15	—		4,950.00
5	16	—		8,140.00
6	12	—	1,11 2.20	—
		शून्य	**5,86,772.20**	**1,28,590.00**